भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 816
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तम्बाकू पर कर में वृद्धि

816. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 139वें और 147वें प्रतिवेदन में यह पाया गया है कि भारत में तम्बाकू की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं और देश में कैंसर के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए तम्बाकू पर कर बढ़ाने की सिफारिश की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने बजट 2023 में घोषित कुछ सिगरेटों पर प्राकृतिक आपदा और आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) में 46% की वृद्धि से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) कया सरकार स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त राजस्व का उपयोग कैंसर अनुसंधान और जागरूकता के लिए करने का विचार रखती है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार ने तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इस आदत को छुड़वाने में लोगों की मदद करने तथा कैंसर और तंबाकू से संबंधित बीमारियों के प्रसार और रोगभार को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) शुरू किया था। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद

अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 के तहत, जन जागरूकता को और बढ़ाने के लिए तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग पर कैंसर रोगियों के वास्तविक जीवन की तस्वीरें और पठनीय चेतावनी लेबल प्रदर्शित किए जाते हैं।

राजस्व विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 (अक्टूबर 2022 तक) के वार्षिक आंकड़ों के आधार पर प्राकृतिक आपदा और आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) का अनुमान लगभग 1100 करोड़ रुपये लगाया गया था।

****